	राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 24, शनिवार, शाके 1943–अक्टूबर 16, 2021 *Asvina 24, Saturday, Saka 1943- October 16, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप–5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 15, 2021

एस.ओ.591 :–राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.10.2021 जो कि राजपत्र में एस.ओ. संख्या 591 दिनांक 01.10.2021 में प्रकाशित हुई है, में निम्नानुसार संशोधन करती है:–

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विद्यमान क्रम संख्या 1 व 2 व उनकी प्रविष्ठियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:–

''

1.	राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में कोई भी दुकानदार किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय करता है। एनसीआर क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण राज्य में कोई भी दुकानदार ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय करता है।	10,000/–
2.	राजस्थान के एनसीआर क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाया जाता है या चलाने की अनुमति देता है। एनसीआर क्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण राज्य में कोई भी व्यक्ति ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाया जाता है या चलाने की अनुमति देता है या ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरूपर्ब एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर 11.55 पीएम से 12.30 एएम के पूर्व एवं पश्चात उपयोग एवं चलाने पर या जिस शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स "poor" या उससे खराब है वहां उस दिन आतिशबाजी का उपयोग एवं चलाने पर।	2000/–

[संख्या प.9(16)गृह–5/2020]

राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।